राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 162/2019

शान्ता मकवाना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
3. उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जोधपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 10.09.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त श्रीमाली, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसावडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी का पदस्थापन प्रत्यर्थी विभाग में अध्यापक के पद पर हुआ थार एवं वर्तमान में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुकी है। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी के सेवा में रहते हुए वर्ष 2016 में अपीलार्थी के बीमार हो जाने पर अपीलार्थी द्वारा 2,09,874/–रूपये के चिकित्सा परिचर्या के बिल प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत किए (अनुलग्नक– 2 से 4)। किन्तु लम्बे समय तक उक्त बिलों का पुनर्भुगतान विभाग द्वारा नहीं किए जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपने विभाग को सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से (अनुलग्नक–5) प्रार्थना–दर्ज करवाई। अपीलार्थी अधिवार्षिकी आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.07.2018 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुकी है। किन्तु चिकित्सा बिलों का भुगतान लम्बित है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को कई बार लिखित प्रार्थना प्रस्तुत किए गए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रुपए 209874/– के चिकित्सा बिलों के विरूद्ध मात्र रुपए 1,11,338/– की ही अनुशंषा की गई। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अनुलग्नक–10 एवं 11 के सम्पूर्ण राशि का नियमानुसार भुगतान करने का निवेदन किया। जिसके प्रत्युत्तर में विभाग द्वारा बजट राशि उपलब्ध नहीं होने का हवाला दिया। अतः अपील अपीलार्थी

स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिलों की सम्पूर्ण राशि रुपये 209874/– का नियमानुसार भुगतान किए जाने के आदेश फरमाया जावे।

2. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब एवं बहस के दौरान यह कथन किया कि वर्तमान में अपीलार्थी को नियमानुसार देय पुनर्भरण की राशि अदा की जा चुकी है। इस प्रकार अपीलार्थी का कोई चिकित्सा व्यय बिल बकाया नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी और पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण चिकित्सा बिलों के विरूद्ध अभी कुछ राशि का भुगतान बकाया बताया गया है, जबकि राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी को इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण भुगतान किए जाने का कथन किया है। ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते है कि न्यायहित में अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य